Subject: - Purchase/ R.C. of medicine for District Sirsa.

नियम व शर्ते

1. फर्म के पास वैद्य Authorization Medicine & Surgical/ Lab Stockist License होना अनिवार्य है।
2. फर्म ब्लैक लिस्ट नही होनी चाहिए। तथा फर्म के खिलाफ कोई कानुनी केसं न चल रहा हो।
3. फर्म द्वारा यह Undertaking देनी होगी कि उसके द्वारा किसी और सरकारी स्वास्थ्य संस्था मे फर्म द्वारा दिये रेट से कम कही सप्लाई नही की गई।
4. जो दवाईयों से सम्बन्धित रेट भरने के लिये जो प्रोफार्मा दिया जायेगा उसमे किसी भी प्रकार की कटिंग/बदलाव व ओवरलेपिंग मान्य नही होगा तथा इच्छुक फर्म द्वारा दवाईयों/लैब/डैन्टल मैटीरियल/एक्स–रे फिल्म के केवल Per Unit रेट ही मान्य होगें ना कि Per 10 Tab. यदि किसी फर्म द्वारा Strip के हिसाब से रेट दिये गये तो उस फर्म की सम्बन्धित दवाई/सामान की भरे हुये रेट को स्वीकृत नही किया जायेगा। फर्म द्वारा भरे गये रेट केवल दो दशमलव बिन्दु तक होने चाहिये जैसे 12.55 मान्य होगा ना कि 12.545।
5. कोटेशन मे भरा गया रेट Net न हो कर Vat Extra होगा।
6. दवाईयां/सामान की सप्लाई फर्म द्वारा 15 दिन के भीतर पहुंचाना सुनिश्चित करे। 15 दिन पश्चात दवाईयो/सामान पर 2% पैनल्टी 30 दिन बाद 4% पैनल्टी काटी जायेगी। 45 दिन तक सप्लाई न देने पर फर्म को बलैक लिस्ट कर दिया जाएगां व फर्म की सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी।
7. Near Expiry Medicine एक वर्ष से कम होने पर स्वीकार नही की जायेगी।
8. **फर्म द्वारा सप्लाई की गई दवाईयों/सामान का सैम्पल सम्बन्धित विभाग द्वारा कभी भी भरा जा सकता है इस अवस्था में यदि किसी फर्म द्वारा सप्लाई की गई दवाईयों/सामान का** सैम्पल फेल आता है तो इसकी एवज में उतनी मात्रा मे फर्म द्वारा अन्य बैच की दवाईयों/सामान की सप्लाई करने के लिये बाध्य होगा। तथा सैम्पल फेल की दवाईयों/सामान की सप्लाई 15 दिन के अन्दर भेजना सुनिश्चित करना होगा।
9. फर्म द्वारा बिल की तीन कोपी देनी होगी।
10. दवाईयों/सामान का आर्डर जिस संस्था द्वारा दिया गया है उसी संस्था तक दवाईयां/सामान पहुचाने का खर्च फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
11. अगर कमेटी को पता चलता है कि कोई भी फर्म द्वारा गलत जानकारी दी गई है उस आधार पर भी फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
12. फर्म द्वारा सप्लाई की गई दवाईयों/सामान की Test Report बिल के साथ देनी होगी।
13. दवाईयां/सामान की जाचं Inspection कमेटी द्वारा जांच करने उपरान्त ही स्वीकार की जायेगी।
14. सभी दवाईया/समान GMP Certified व lab Reagent WHO - GMP PATH USA/DCGI Certified होना जरूरी है।
15. दिये गये रेट एक वर्ष तक मान्य होगें।
16. प्रत्येक फर्म की Mail Id होना आवश्यक है।
17. बिना किसी कारण के कोटेशन/टैन्डर को Accept/Reject करने का अधिकार सिविल सर्जन, सिरसा को होगा।
18. फर्म अपने रेट Format में दिए गए serial number के अनुसार ही भरें।

सिविल सर्जन
सिरसा। 2/8/15